रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-27102025-267162
CG-UP-E-27102025-267162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4636] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947
No. 4636] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 11 अक्तूबर, 2025

(शुद्धि-पत्र)

का.आ. 4765(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम ,1989 (1989 का 24) एवम संशोधन अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क के खंड (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपापद अनुसूची में दिया गया है राजस्थान राज्य के दौसा जिले में आगरा फोर्ट बांदीकुई दोहरीकरण परियोजना विशेष रेल परियोजन के निष्पादन, अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है , ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा – 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र अर्थात राजस्थान पत्रिका एवम दैनिक भास्कर में तारीख 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और 01 ग्रामों में प्राप्त हुए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिया गए और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः आप केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पैर रोकता अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इस में उपाब) अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोत्तर प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंदीय सरकार उक्त अधिनियम के धारा 20 ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाब (अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्याकित रूप से निहित हो जाएगी ।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग – II की धारा- 3, उप धारा (II) में प्रकाशित 20 ड की अधिसूचना संख्या एसओ 3388 (अ) प्रयागराज गजट सी.जी.-यू.पी.-अ.- 26072025-264960, दिनाक 24 जुलाई 2025 के अग्रेजी एवम हिंदी में निम्नलिखित विवरण को संशोधित किया जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के दौसा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात "आगरा फोर्ट बांदीकुई दौहरीकरण परियोजना" के निर्माण हेतु" अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

त्रुटिया							
क्रम सं.	**तहसील**	**ग्राम**	**खसरा संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**अर्जित क्षेत्रफल (हैक्ट. में)**	**भू-स्वामी / हितबद् व्यक्तियों के नाम**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मण्डावर	मण्डावर	1826/905	निजी	कृषि	0.0540	1. सुशीलादेवी पत्नि महेशचन्द हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. देह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
					योग	0.0540	

शुद्धि							
क्रम सं.	**तहसील**	**ग्राम**	**खसरा संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**अर्जित क्षेत्रफल (हैक्ट. में)**	**भू-स्वामी / हितबद् व्यक्तियों के नाम**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मण्डावर	मण्डावर	1826/905	निजी	गैर मुमकिन वाणिज्यिक	0.0500	1. सुशीलादेवी पत्नि महेशचन्द हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन सा. देह वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
					योग	**0.0500**	

[फा. सं. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024 O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Contruction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 11th October, 2025

(CORRIGENDUM)

S.O. 4765(E).—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) & Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been

given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, **" Agra Fort-Bandikui Doubling Project"** in District Dausa in the state of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land.

Any whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely " Dainik Bhaskar" and Rajasthan Patrika" dated 01.08.2025 under sub section (4) of Section 20A of the said ACT.

Any whereas, in 01 village objections were received and competent Authority have passed the orders accordingly;

Any whereas, in pursuance of sub section 20E of the said Act, the competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

The following details shall be amended and substituted in (Hindi & English) in the 20 E notification no. 3388 (A) Prayagraj Gazette ID CG-UP-E- 26072025-264960 dated 24 July 2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section-3-Subsection-II.

Wrong

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Agra Fort - Bandikui in District Dausa in the state of Rajsthan.

S.N.	Tehsil Name	Village Name	Plot No.	Types Of land	Nature of land	Acquired Area in Hect.	Land Owner/ Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mandawar	Mandawar	1826/905	Private	Agriculture	0.0540	1.Sushiladevi wife of Maheshchand Part- Full Caste- Mahajan Sa. flesh for commercial purposes,
					Total	**0.0540**	

CORRECT

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Agra Fort - Bandikui in District Dausa in the state of Rajsthan.

S.N.	Tehsil Name	Village Name	Plot No.	Types of land	Nature of land	Acquired Area in Hect.	Land Owner/ Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mandawar	Mandawar	1826/905	Private	Gair.mumkin commercial	0.0500	1.Sushiladevi wife of Maheshchand Part- Full Caste- Mahajan Sa. Deh for commercial purposes,
					Total	**0.0500**	

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024 O/o Dy. CE/C-I/AGC (Computer No. 114142)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Const.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.27 16:18:59 +05'30'